25/3/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश
हेतु पेश हुयी। वकील फरीकैन उपस्थित।
पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वादी का
वाद-पत्र स्वीकार किया जाय है। किन्तु
निर्णय अलग से लिख आदेश था। कि०
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो/ वे
दाखिल दफ्तर हो। बाद ग्रोत 2/सं
दाखिल हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 128 / 2024
दायर दिनांक :– 10.07.2024
निर्णय दिनांक :– 25/8/25

उनवान

1. हीरालाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़। .....वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
2. जगमाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
3. जैलसिंह पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
4. फूलचन्द पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर कोटपुतली–बहरोड़।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपुतली–बहरोड़।
7. पंजाब नैशनल बैक शाखा बहरोड़ जरिये शाखा प्रबंधक,
8. आई.सी.आई.सी आई बैक लिमिटेड शाखा महाराजावास जरिये शाखा प्रबंधक।

....

प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी।</u>

उपस्थित :–

1. श्री वीरेन्द्र यादव अधिवक्ता वादी
2. श्री मनीष कौशिक अधिवक्ता अप्रार्थी

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अवगत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 एक ही ग्राम खापरिया तहसील बहरोड़ के रहने वाले है जो वादी व प्रतिवादीगण सं 01 लगायत 4 आपस में सगे भाई है। जिनके परिवार का सजरा पेश किया है। साबिक खसरा नम्बर 605 रकबा 18 बिस्वा ,707 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड से संवत 2042 में हाल खसरा नम्बर 735 रकबा 0.22,842 रकबा 0.30 वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड कायम हुये है व उसके प्श्चात सेग्रीगेशन के दौरान उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 735 / 2077 रकबा 0.22 ,842 / 2185 रकबा 0.30 कायम कर ग्राम खापरिया के बजाय ग्राम हमीदपुर में शामिल कर दिया गया जो आराजी इस वाद पत्र मेंआराजी मुतनाजा से प्रदर्शित की जावेगी। जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या नया 202 में हाल खसरा नम्बर 735 / 2077 रकबा 0.22, 842 / 2185 रकबा 0.30 वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड़ में खातेदारी के इन्द्राजात निम्न प्रकार से किया है :–

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगेलाल हिस्सा 1 / 4 जाति अहीर खापरिया, खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

2. जगमाल पुत्र मागेलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर खापरिया खातेदार साहिल 1/4 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैक शाखा बहरोड़
3. जैलसिंह पुत्र मागेलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर खापरिया खातेदार
4. फूलचन्द पुत्र मांगेलाल हिस्सा 1/4 जाति अहीर खापरिया खातेदार रहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) आई.सी.आई.आई बैक लिमिटेड शाखा महाराजावास दर्ज है।

आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगएण सं. 01 लगायत 4 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 4 का प्रत्येक का बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित ह्रै जो कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 605 रकबा 0.18 ,707 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड़ रधुवीर औमप्रकाश,वेदप्रकाश पिसरान श्रीराम अहीर निवासी झारोडा तहसील बहरोड की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जो आराजी वादी व प्रतिवादीगण स0 01 लगायत 4 ने दिनांक 18.09.78 को जरिये रजिस्अर्उ विक्रय पत्र के खरीद की थी जो उक्त आराजीयात में खसरा नम्बर 605 रकबा 0.18 वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड़ को वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 ने रधुवीरसिंह औमप्रकाश , वेदप्रकाश पुत्रान श्रीराम से खरीद की थी व खसरा नम्बर 707 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड़ को वादी व प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 4 ने वेदप्रकाश पुत्र श्रीराम से खरीद की थी जो वक्त खरीद से ही वादी व प्रतिवादीगण स. 1 गलायम 4 आराजी मुतनाजा पर वहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते रहे है व संवत 2042 में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 735 रकबा 0.22 ,842 रकबा 0.30 वाकै ग्राम खापरिया तहसील बहरोड कायम हुऐ है व अब वर्तमान में सेग्रीगेशन के दौरान उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 735/2077 रकबा 0.22 ,842/2185 रकबा 0.30 कायम कर वाके ग्रमा खापरिया के बजाय ग्राम हमींदपुर में खामिल कर दिया गया। परन्तु वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा को दिनांक 18.09.78 व प्रतिवादीगण सं0 1लगायत 4 के द्वारा आराजी मुतनाजा को दिनांक 18.09.78 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद करने के बाद में बयनामा के आधार पर वादी के नाम इन्तकाल दर्ज नही हुआ व केवल मात्र प्रतिवादीगण बैजा तौर पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 की खातेदारी में बदस्तुर कायम चली आ रही है जो खलाफ कानून व खिलाफ मौका व खिलाफ बयनामा है जो बेजा इन्द्राजात सभी हकूक वादी व बेअसर करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 735/2077 रकबा 0.22,842/2185 रकबा 0.30 वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड़ में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर आराजी मुतनाजा के बयनामा दिनांक 18.09.78 के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 4 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी प्रकार से दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रस्तुत कर निवेदन किया ळै कि उक्त अनुवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान के यहा लम्बित है। वाद पत्र के लम्बित रहते हुये हम पक्षकारान को समय का व आर्थिक नुकसान हो रहा है इस लिए हम पक्षकारान ने आपस में गांव के मौजीज व्यक्तियो के सामने मिल बैठकर लोकअदालत की भावना से राजीनाम कर लिया है। जिसमें हमारा वाद पत्र डिक्री किया जावे कि हाल आराजी खसरपा नम्बर 735/2077 रकबा 0.22 हैक्टेयर,842/2185 रकबा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम हमींदपुर में से 1/5 भाग वादी हीरालाल का रहेगा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 भाग रहेगा तथा हम मौके पर इसी प्रकार से काबिज है। जो बाद तस्दीक किया गया।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा विद्ववान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2020 2073 से 2076 आराजी खसरा नम्बर 735/2077 रकबा 0.2200 है0 व आराजी खसरा नम्बर842/2185 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम हमींदपुर के प्रतिवादीगण 01 लगाय 04 1/4 ,1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 18 बिस्वा व 707 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया रधुवीर ,ओमप्रकाश,वेदप्रकाश पिसराम श्रीराम से जरियें रजिस्टर बयनामा दिनांक 18.09.1978 को वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खरीद की गई है। उक्त रजिस्ट्रर बयनामा का अमल भू–प्रबधक विभाग की जमाबन्दी संवत 2037 में वादी का नाम दर्ज ना करके केवल प्रतिवादी के नाम दर्ज किया गया। जिसकी दुरूस्ती हेतु यह वादी वादी द्वारा न्यायालय हाजा को प्रस्तुत किया है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जरिये राजीनामा के स्वीकृति दी गई है। जिस सूरत में वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

आदेश :–

वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आश्य की जारी कि जाती है कि हाल खसरा नम्बर 735/2077 रकबा 0.22,842/2185 रकबा 0.30 वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड़ में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 4 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर से राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 25/8/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एव कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 128 / 2024
दायर दिनांक :– 10.07.2024
निर्णय दिनांक :– 25/8/25

उनवान

1. हीरालाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़। .....वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
2. जगमाल पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
3. जैलसिंह पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
4. फूलचन्द पुत्र मांगेलाल जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर कोटपुतली–बहरोड़।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपुतली–बहरोड़।
7. पंजाब नैशनल बैक शाखा बहरोड़ जरिये शाखा प्रबंधक,
8. आई.सी.आई.सी आई बैक लिमिटेड शाखा महाराजावास जरिये शाखा प्रबंधक।

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी।</u>

उपस्थित :–

1. श्री वीरेन्द्र यादव अधिवक्ता वादी
2. श्री मनीष कौशिक अधिवक्ता अप्रार्थी

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आश्य की जारी कि जाती है कि हाल खसरा नम्बर 735 / 2077 रकबा 0.22,842 / 2185 रकबा 0.30 वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड़ में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 4 को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर से राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 25/8/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)